संख्या-33/2022/847/22-2-2021-17(453)/2021

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 20 मई, 2022*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जीतन कुर्मी पुत्र श्री केदार कुर्मी, निवासी जनपद-बलिया की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4324/प्रोबे-5-दया0 बैठक-11-02-2021 दिनांक 22-02-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जीतन कुर्मी पुत्र श्री केदार कुर्मी, जो ग्राम-मल्लाहीचक, थाना-बॉसडीह, जनपद-बलिया का रहने वाला है। दिनांक 04.07.2007 को पुलिस ने शंकर मल्लाह को साथ में लेकर गांव के शातिर अपराधी व अन्य लोगों के घर दविश दी। मल्लाह जाति के लोग पुलिस से मिलकर मरवाने की कार्यवाही कर रहे हैं, इसी शक के कारण बन्दी ने 13 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गोली मारकर राधाकिसुन, स्वामीनाथ की हत्या कारित की गयी तथा लक्षमण पटेल को गंभीर रूप से घायल किया गया तथा जमीनी रंजिश के कारण दिनांक 04.07.2006 को बन्दी व उसके 03 सहअभियुक्त विश्राम पटेल के घर गालियां देते हुये आये और मारने के लिए फायर करने लगे जिससे मनीष और आरती को चोटें आयीं। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-217/2008 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 307/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एक्स कैडर, बलिया के आदेश दिनांक 07.03.2013 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.12.2015 द्वारा धारा-302 के अन्तर्गत आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया तथा सत्र परीक्षण संख्या-251/2006 में भा0द0वि0 की धारा-307, 324, 504, 506, 336 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (आ0व0अधि0), बलिया के आदेश दिनांक 27.09.2013 द्वारा 11 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 27.11.2020 तक 13 वर्ष 03 माह 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 13 वर्ष 11 माह 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक, बलिया ने बन्दी पुन: जघन्य अपराध कर सकता है, जिससे समाज में भय और आतंक का माहौल पैदा होने, समय से पूर्व छूटने पर समाज में भय व्याप्त होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति ने बन्दी द्वारा दिनांक 04.07.2007 को 13 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गोली मारकर राधाकिसुन स्वामीनाथ की हत्या तथा लक्षमण पटेल को गंभीर रूप से घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया तथा दिनांक 04.07.2006 को बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर विश्राम पटेल को मारने के लिए फायरिंग की जिससे मनीष और आरती को चोटे आयीं। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में गलत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट बलिया द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी जीतन कुर्मी (बन्दी संख्या-377/2014) पुत्र श्री केदार कुर्मी, निवासी जनपद-बलिया की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-33/2022/847(1)/22-2-2021 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, बलिया ।

2-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।